Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2021] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 अक्तूबर, 2021
(20 आश्विन, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 21/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 08 अक्तूबर, 2021 – पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी III– कार्यकारी) हरियाणा संशोधन नियम, 2021	439–440
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 34/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2017, दिनांक 08 मई, 2017 में शुद्धि पत्र जारी करने बारे।	11–12

भाग-III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 08 अक्तूबर, 2021

संख्या सा०का०नि० 21/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी III–कार्यकारी) नियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी III–कार्यकारी) हरियाणा संशोंधन नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी III–कार्यकारी) नियम, 1963 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 15 में,–

(i) उप–नियम (1) में, "पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952" शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016" शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–नियम (2) में, "पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952 के नियम 10 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) तथा (घ)'' शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा (घ)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में;

(क) ''अनुभाग–I पर्यवेक्षी कार्यकारी अमला'' शीर्ष के नीचे, खाना 6 के नीचे, मद (ख) के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष;
तथा

(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।''।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

JAILS DEPARTMENT

Notification

The 8th October, 2021

No. G.S.R. 21/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Jails Department State Service (Class III-Executive) Rules, 1963, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Jails Department State Service (Class III-Executive) Haryana Amendment Rules, 2021.

2. In the Punjab Jails Department State Services (Class III-Executive) Rules, 1963 (hereinafter called the said rules), in rule15,-

(i) In sub-rule (1), for the words, brackets, sign and figures "Punjab Civil Services (Punishment and appeal) Rules, 1952", the words, brackets, sign and figures "Haryana Civil Services (Punishment and appeal) Rules, 2016" shall be substituted ; and

(ii) In sub-rule (2), for the words, brackets, sign and figures " clauses (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952", the words, brackets, sign and figures "clauses (c) and (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and appeal) Rules, 2016" shall be substituted .

3. In the said rules, in Appendix A,-

(a) Under heading "SECTION I SUPERVISORY EXECUTIVE STAFF" , under column 6, against item (b), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) Bachelor degree in any stream from any recognized university or its equivalent; and

(ii) Hind or Sanskrit as a one subject in Matric or Higher Education.".

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Jails Department.

9338—C.S.—H.G.P., Pkl.